

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 278/2026

Suraj Kumar Alias Pawan S/o Ravi Shankar Chawala, Aged About
27 Years, Sanganer Colony, Bhilwara At Present Near Vijay Path,
Police Station Mansrovar, Mansrovar, District Jaipur.
(Lodged In Dist. Jail Bhilwara)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Harshita Khatik D/o Heeralal, Sanganer Colony Bhilwara
Subhash Nagar Bhilwara, District Bhilwara

----Respondents

For Petitioner(s)	: Mr. Rishabh Handa
For Respondent(s)	: Mr. Narendra Gehlot, PP With Mr. OP Choudhary

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

25/03/2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना सुभाष नगर, जिला भीलवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 209/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 75(2), 78(2), 331(1) भारतीय न्याय संहिता व धारा 67(सी) आईटी एक्ट के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
2. मैंने बहस जमानत आवेदन पत्र पर सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में विकास द्वारा फोन की रिकॉर्डिंग पीड़िता के रिश्तेदारों व ससुराल वालों को भेजना बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा केवल हाथ पकड़कर खींचना व जबरदस्ती गले लगाने का आरोप लगाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध चालान पेश हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 19.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।
4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले में फोन रिकॉर्डिंग को

रिश्तेदारों व ससुराल वालों को भेजने का आरोप भी पीड़िता ने लगाया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी एक अन्य प्रकरण दर्ज होना बताया है। अतः इस आधार पर प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। पीड़िता के धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान का अवलोकन किया। इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त पर पीड़िता की छत पर प्रवेश कर हाथ पकड़कर खींचने का आरोप लगाया गया है। सह-अभियुक्त विकास द्वारा रिकॉर्डिंग वायरल करना इस मामले में पीड़िता ने अपने धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान में बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध जो पूर्व में प्रकरण दर्ज है, वह धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता का है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

6. अतः इस स्टेज पर बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त **सूरज कुमार उर्फ पवन पुत्र रवि शंकर**, उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J